न्याय आपके द्वार कैम्प 7-8-5-B में पत्रावली प्रस्तुत हुई। वादी अनुपस्थित। प्रतिवादी उपस्थित। प्रतिवादी हि० प्र० स्टेट की ओर से तहसीलदार ने जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि वादपत्र में उल्लिखित भूमि के सम्बन्ध में अजीतसिंह पुत्र लाभसिंह मलकीतसिंह - जसबीर सिंह पि० लाभसिंह द्वारा जरिए दीमानाला नम्बर 2815 कर रखा है जिस संबंध में वाद पत्र सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। वादी का भूमि पर कब्जा नहीं होने तथा वादी से संबंधित भूमि का प्रकरण सिविल न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण पैमाईश कार्यवाही जानी उचित नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। जवाब स्टेट पर मनन किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के अनुसार विवादित भूमि के संबंध में सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन होने तथा वादी का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं होने के कारण वादपत्र में चाहा गया अनुतोष दिया जाना संभव नहीं होने के कारण वादपत्र खारिज योग्य है।

अतः वादी का वादपत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय मजमे आम सुनाया जाकर लिखाया गया। पत्रावली फैसल मुताबिक होकर दफ्तर दाखिल हो।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
...पगढ़